



## Life and Education of Mahmud Ghaznavi

*Sultan Mahmud Ghaznavi was a king who attained varieties of worldly prosperity and the fame of his Justice and government, and the sound of his fortitude and country-subduing qualities, reached beyond the hall of planet Saturn. In prosperously carrying on war against the kings, he exalted the standards of the religion of the faithful, and in his laudable endeavours for extirpating heretics, he rooted out oppression and impiety. When he entered into battle his heroism was like a torrent, which rushes over even and uneven places without heed, and during the time that he sat upon the throne and was successful in his undertakings, the light of his justice, like the rays of the sun, shone upon every one. His wisdom during the nights of misfortune like a star, pointed out the way and his sword pierced the joints of his enemies like the hand of fate.*

**DR. SHAFIUZZAMAN**

**M**ahmud became the Amir in 999 AD. Immediately after his accession he embarked on his amazing career of conquests. In the very first year of his rule he overpowered, the Samanids, and annexed the territory upto the Oxus. In 1001 C.E. he conquered Kohistan. In 1001 C.E. he had to fight against the Hindushahis. A sanguinary battle took place near peshawar. In this battle the Hindushahis suffered defeat and Mahmud annexed the territory upto the Indus. Raja Jaipal having been defeated thrice forfeited the right to rule. He burnt himself to death. He was succeeded by his son Anand Pal. In 1002 C.E. Mahmud annexed seestan. In 1004 C.E. Mahmud crossed the Indus and defeated the Raja of Bhatia (modern Bhera). In 1005 C.E. he captured Ghur in the west and Multan in the east. In 1008 C.E. the Hindu Rajas made big effort to expel the Muslims from the soil of India. The Rajas of Ujjain, Gwalior, Kalinjar, Kannauj, Delhi and Ajmer sent contingents to aid Anandpal. A sanguinary battle took place in 1008 C.E. in the chach plain near modern-Hazro. The Hindus fought desperately but the superior generalship of Mahmud won the day. The Hindu forces were annihilated and Mahmud annexed the territory between the Indus and the Jhelam. In 1018 C.E. Mahmud extended his conquests further west and Khawarizam shahs of Khiva became him vassal. In 1019 C.E. he confronted the Hindu Shahis again. The Hindu Shahis were defeated and Mahmud annexed their territories. Lahore was made the capital of the Ghaznavid Punjab. With the establishment of the Ghaznavid rule in the Punjab, north-west India became a Muslim state. With Lahore as the base, Mahmud conducted campaigns in India, and amassed considerable booty in such raids. In 1024 C.E. Mahmud led an expedition to Somnath. In 1026 C.E. on return from Somnath he annexed Sind. After the annexation of Sind

a state emerged in northwest India which comprised the areas which now form Pakistan. In 1029 C.E. Mahmud defeated the Bawayhids and annexed Ray.

Mahmud died in 1030 C.E. after an eventful reign of thirty one years. At the time of his death, the Ghaznavid Empire stretched from the Beas to the Oxus. He was one of the greatest rulers of the eleventh century. When Subuktigin came to power, Ghazni was a small principality. Between themselves Subuktigin and Mahmud raised the principality to the dimensions of an empire.<sup>(1)</sup>

### **Rise of Ghazni :**

We have seen that, with the exception of the frontier provinces of Sind and Multan, India remained unaffected by the tide of Arab conquest. The establishment of Muslim rule in India was the work of the Turks, and the process was begun by the Turkish rulers.

The principality of Ghazni was founded in 963 A.D. by an adventurer named Alptigin. He started his career as a slave of the Samanids, whose power at one time extended from the Jaxartes to Baghdad and from Khawarizm to the borders of India. Alptigin died within a few months of achieving the crowning success of his life, and after an interval of about 14 years, his slave and son-in-law, Sabuktigin, occupied his throne (977 A.D.). The new ruler was an enterprising military leader eager for conquests. His attention was naturally turned to the neighbouring principality of Jaipal, the Hindu Shahi<sup>(2)</sup> king, whose authority extended from Lamghan to the river Chenab.

### **Rise of the Turks :**

In spite of their initial success the Arabs had not been able to extend their dominion beyond Sindh and Multan. In fact, their rule dwindled into insignificance by the middle of

*Assistant Professor & Head (Department of Political Science), Mohd. Masood Khan Degree College, Mangrawan, Azamgarh (Uttar Pradesh)*

the ninth century A.D. It was left to the Turks to complete the work begun by the Arabs. The Turks had, a short time before our period, embraced Islam and possessed all the zeal and narrow mindedness of the neophytes. They were intrepid, brave, full of boundless energy and push and thoroughly materialistic in their outlook. Islam had given them a thin veneer of religiosity. They were inordinately ambitious and their qualities and faults combined to make them eminently fit for founding a big military empire in the east.

#### **Accession of Mahmud :**

Sabuktigin died in 997 A.D. and was succeeded by his famous son, Mahmud, though not without a war of succession between him and his younger brother, Ismail who was nominated heir their dying father. Mahmud was born on 1st November 971 A.D., and was, at the time of his accession in 998 A.D., twenty-seven years of age. At that time his kingdom comprised Afghanistan and Khurasan. Mahmud secured the formal recognition of his sovereignty from the Caliph of Baghdad (al-Qadir Billah). He was also given the title Yamin-ud-Daulah and Amin-ul-Millah. His dynasty is, therefore, known as the Yamini dynasty.

#### **His Character :**

Mahmud was an extremely ambitious young man. It is said that on the occasion of his investiture by the Khalifa he took a vow to undertake every year an expedition against the infidels of India. He tried to fulfill this vow. Mahmud was not gifted with kingly looks. He was a man of medium height and of strong build, but was rather ugly looking. He did not possess extraordinary personal prowess. Nevertheless, he was a great general and also an equally good soldier. He was an extremely intelligent and strewed man, endowed with the royal gift of judging human character. His out-standing virtues were cool courage, prudence and resourcefulness. He was, moreover, a man of restless activity and overpowering ambitions. He possessed a habitual air of command and was adept in statecraft. He considered no body as indispensable and used every one he came into contact with as an instrument for the attainment of his object. Professor Mohammad Habib says that his outlook on life was essentially secular and that he was not a man to follow the Muslim Ulema blindly. He was not, according to this learned author, a fanatic. Mahmud's life and his deeds, however, demonstrate the fact that he was, without doubt, devoted to his religion and that he believed that he was serving the cause of Islam in carrying unprovoked war into the territory of the Hindu idolators. His court historian, Utbi, looked upon Mahmud's expeditions to India as jihad, that is, holy war for the extirpation of idolatry and propagation of Islam. "Sultan Mahmud", he writes in his *Tarikh-i-Yanini* "at first designed in his heart to go to Sijistan, but subsequently preferred to engage previously in a holy war against Hind". Utbi adds that he called a council of his officers "in order to secure a blessing on his design of exalting the standard of religion, widening the plain of right, of illuminating the words of truth and strengthening the power of justice". These words clearly

show that Mahmud's contemporaries believed that one of the main objects of his aggressive policy against our country was to serve his religion. There were, of course, other reasons. Mahmud was an ambitious man and wanted to rule over as big an empire as a man could possibly create. He was fond of wealth, as all powerful people are, and he had heard of the stories of India's fabulous riches. He was, moreover, a warrior thirsting for military glory. Besides, being a realist, he might possibly have considered the continued existence of a hostile Hindu power in his immediate neighbourhood as a menace to his independent existence, or at any rate, to his policy of expansion. For all these reasons Mahmud decided, almost immediately after his accession, to pursue a policy of aggressive warfare against Hindustan.<sup>(3)</sup>

"Sultan Mahmud Ghaznavi was a king who attained varieties of worldly prosperity and the fame of his Justice and government, and the sound of his fortitude and country-subduing qualities, reached beyond the hall of planet Saturn. In prosperously carrying on war against the kings, he exalted the standards of the religion of the faithful, and in his laudable endeavours for extirpating heretics, he rooted out oppression and impiety. When he entered into battle his heroism was like a torrent, which rushes over even and uneven places without heed, and during the time that he sat upon the throne and was successful in his undertakings, the light of his justice, like the rays of the sun, shone upon every one. His wisdom during the nights of misfortune like a star, pointed out the way and his sword pierced the joints of his enemies like the hand of fate."<sup>(4)</sup>

"Mahmud was born 10 Muharram 361 Hijri (1 November, 971 A.D.) and was therefore 27 years of age when he deposed his brother and ascended the throne in 998 A.D."<sup>(5)</sup> His father Subuktigin a great General and was very loyal to the king Alaptagine. His mother was a daughter of one of the grandees of Zabulistan, and for this reason he was called 'Zabuli'. Some writers are of the opinion that Mahmud was not the real son of subuktigin, but if he was of this kind, he was not called 'Mahmud-uz-Abli' by the poet of his court.

There is not much literature available about the basic education of this great general. "He remembered the whole Quran by heart and he was very learned in the field of Hadis (Tradition) and fequah (Theology). His preceptor was Bu Ali Sina".<sup>(6)</sup>

#### **References :**

- (1) Hasan, Prof. Masud-ul, (2010) : *History of Islam, vol. I, Adam Publishers and Distributors, New Delhi.*
- (2) *The Hindu Shahi dynasty was founded in the third decade of the ninth century by Lalliya. Jaipal's reign roughly covered the period 965-1002 A.D.*
- (3) Hon. Mountstuart Elphinstone, *History of India. The Hindu and Mahometan Periods, Kitab Mahal Private Ltd., Allahabad, 1966.*
- (4) Elliot and Dowson, *History of Ghazni, p.137.*
- (5) W. Haig, *Cambridge History of India, p.12.*
- (6) Khan, A.B., *Aik Tanquidi Jaiza, Mahmud Ghaznavi, p.16.*





## Right to Service Act in Punjab : Implementation and Implications

*Service delivery is one of the most important interfaces between a modern democratic state and its citizens. The aim of public service delivery is to deliver cost-effective, high-quality services. Citizens are not fully informed and aware of their rights, and public services are not delivered in an equitable, efficient and transparent manner. The bureaucratic institutions are aimed at providing various services to the citizens. Punjab has also attempted various other successful initiatives to improve the delivery of public Services. Most of these experiences came as pilot projects and have particularly used information and communication technology in delivery of services.*

**NIRMAL SINGH\* & DR. SUKHINDER SINGH\*\***

The Public Services Law in India owes its origin from the Citizens Charter of UK promulgated in 1991. Though, it was not a legal document in the strict sense of the law, being an agreement of contract entered into between the citizens and public servants, providing for competent and time bound delivery of services.<sup>(1)</sup> The 'Citizens Charter' was introduced in India in 1997, which was voluntary in character. That was based on logo "Services First" as in the UK. The Charter gradually spread through Central to State Ministries and to their local bodies and organizations. In 2002, a website was launched by the department of Administrative Reforms and Public Grievances towards consolidating the write up on the progresses and improvement resulted out of Citizens Charters.<sup>(2)</sup>

It also recommended for holding officers accountable for results at the Central, State, District and Sub-District levels, Municipalities and Panchayats. They are duty bound towards supplies of goods or render services and redress any complaints from citizens in the prescribed manner. Further, it was required to remedy the grievances in a time frame not exceeding thirty days from the day of receipt of the complaint. Every Citizen is entitled to hassle-free public services and redressed of his grievances. Accordingly, the Right to Service Act represents the commitment of particular state towards the standard, quality and time frame of services delivery, grievances redressal mechanism, transparency and accountability. It makes the service providers aware of their duties to attend to the problems of concerned citizens within a reasonable time-frame.<sup>(3)</sup>

### What is Right to Public Services? :

Right to Public Services legislation in India comprises

statutory law which guarantees time-bound delivery of various public services rendered to citizens and provides a mechanism for punishing the errant public servants if they are deficient in providing the stipulated services. Hence, Right to Service legislation ensures delivery of time bound services to the public. If the concerned officer fails to provide the service in time, he will pay a fine. Which can range from 500 to 5000 or may be disciplinary proceed. Thus, it is aimed to reduce corruption among the government officials and to increase transparency and public accountability.<sup>(4)</sup>

### How it Works? :

(1) The common framework of the state legislations includes, granting of "Right to Public Services", which are to be provided to the public by the designated official within the stipulated time frame.

(2) The public services which are granted as a right is generally notified through a Gazette notification.

(3) Some of the commonly provided public services, including issuing caste, birth, marriage and domicile certificates, electric connections, voter's card, ration cards, copies of land records, etc., within the fixed time frame.

(4) On failure to provide the service by the designated officer, the aggrieved person can approach the First Appellate Authority. The First Appellate Authority, after hearing, It can order the public servant to provide the service to the applicant.

(5) An applicant may be compensated out of the penalty imposed on the officer.

(6) Appellate authorities have been granted certain Civil Court powers while trying a suit under Code of Civil

\*Researcher, (Department of Political Science), Women's Studies Centre, Punjabi University, Patiala (Punjab)

\*\*Assistant Professor (Department of Political Science), Women's Studies Centre, Punjabi University, Patiala (Punjab)

Procedure, 1908, like production of documents and issuance of summons to the designated officers and appellants.<sup>(5)</sup>

Punjab is the 9th State to pass the Punjab Right to Service Act on October 20, 2011, Punjab Government, with a view to provide delivery of services to the people of the state within time limits, notified Punjab Right to Service Ordinance on 14 July 2011. The Ordinance came into force 28 July, 2011 and 67 services were notified under its provision. Soon after, Punjab Right to Service Act 2011 (PRTS ACT, 2011) was passed by the State Assembly and came into effect on 20 October, 2011. As per section 12 of the PRTS Act 2011, there is a provision to constitute Punjab Right to Service Commission (PRTS) consisting of One Chief Commissioner and Four Commissioners who would look after the task of effective implementation of the Act. The PRTS Act 2011 was enacted with the sole objective of providing an effective framework for time bound delivery of service being provided by various government departments in order to promote transparency and accountably.<sup>(6)</sup>

Punjab is the First State in the Nation to appearance Punjab Right to Service Commission for successful performance of PRTS Act and the Commission is showing its courage on a national scale by ensuring the greatest implementation of the Act.<sup>(7)</sup> Currently, famous functions experienced under this act currently are :

**Suwidha Center** : A Single Window for many Services.

**Sanjh Kendra** : A Singular Window for Police Services.

**Fard Kendra** : A Single Window for Revenue Services.

**Single User-friendly Window Disposal Helpline for Applicants (SUWIDHA)** :

The Punjab State Government that in a row with the main concern of the State, particularly by launching sole projects like SUWIDHA for its citizens. S.U.W.I.D.H.A or Single Use Friendly Window Disposal and Helpline for Applications commenced its services. It's label line "Convenience and Commitment is Suwidha" talk in a straight line and deliver on time.<sup>(8)</sup> It is used to make easy the citizens by capturing the donation at a single point, significant a particular date according to the type of service then accepts the money at the counter itself and deliver the necessary service on the similar counter. It is a Single Window System to provide a valuable interface between the Government and Public. It also gives the facility for the citizens to make sure the status of their applications throughout the project website.

**Fard Kendras** : This mission provides all types of revenue services from a Single Window to the general public. Fard Kendras have been set up to ensure fresh, clean and well-organized services to the people on one hand and save the citizens from unjustified harassment caused due

to excessive delay by the previous process followed by the Revenue Officials. Similar as in extra Acts, the Punjab Act has laid out an exact time limit for the provision of services. The land proceedings of 12538 villages out of 13206 villages have been computerized in the National Land Modernization Agenda. 167 Fard Kendras have been locate for providing computerized copies of revenue documents and supplementary revenue services.<sup>(9)</sup>

**Saanjh Kendras** : Police Department has also been computerized hence that citizens can register their FIRs online, verify the position of their passport confirmation online and much more. But still there is a require that citizens have to visit the Police Station to obtain their work complete and it is observed that there is a basic fear among ordinary citizens to enter the Police Station for civil work. Consequently, under E-Governance projects, Saanjh Kendras have been formed unconnectedly from the Police Stations to make available 25 civil services of Punjab Police to the citizens. 20 of these services are time surrounded in Right to Service Act, 2011. Punjab is the First State to start a citizen Friendly Saanjh Project. The fundamental attempt at the back the implementation of Saanjh Kendras was to decrease the communication with the general public and "Khaki Police". There is a unique dress code for the employees at Saanjh Kendra other than "Khaki Uniform". The persons of these Kendras are wearing clothes in civil and corporate civil dress. The well constructed and supplied buildings of these Kendras provide them a Unique Identity. This project is considered to provide services to citizens without delay at statewide IT platform. In recent times the Punjab Government has maintained more than 500 Saanjh Kendras are put into practiced in the state which comprised Kendras at 27 Police Districts, 114 Tehsils and 359 Police Stations.<sup>(10)</sup>

Till July 2013, as several as 1.21 crore people had benefited services in various districts of the State according to the Act. Approximately 718 appeals were filed with the First Appellate Authority, of which 678 were inclined off and nine appeals were filed before the 2nd Appellate Authority of which seven have been arranged off. All 11 revision petitions entertained too have been disposed off.<sup>(11)</sup> Presently, there are 351 services which have notified into the Punjab Right to Service Act, 2011 and these services are provided by 41 diverse departments, as given below :

Revenue, Health, Transport, Personal, Food, Civil Supplies and Consumer relationships, Housing, and Urban progress, Local government, Rural Water make available and hygiene, Social protection, Home, Interests of S.C.s and B.C.s, Agriculture/ Mandi Board, Animal farming, School, Education, Higher Education, Industries/ Punjab little Industries and sell to other countries Corporation limited Power/ Electricity Complaints and Pensions, Municipality and Country Planning<sup>(12)</sup>. The Act covers services of the departments of local government, Transport, Accommodation and Urban Development, Revenue, Health,

Home, Social Security, Food and Civil Supplies and Rural Water Supply also and Police Department, these departments are time bound to provide the services. Like, the citizens would be capable to get hold copies of Birth and Death Certificates within 2 days.

- (i) Post Mortem details contained by 3 days.
- (ii) Certified copies of verification within 7 days.
- (iii) Demarcation of land in 21 days.
- (iv) Attestation of obvious change within 15 days.
- (v) Sanction of house plans in 30 days.
- (vi) Profession Certificate inside 15 days.
- (vii) NOC within 21 days.
- (viii) Transportation action within 15 days.
- (ix) No Due Certificate within 7 days.
- (x) Transfer of property in case of death within 45 days.
- (xi) Permission to mortgage within 7 days.
- (xii) Completion certificate contained by 15 days.
- (xiii) Authorize of Water Connection and Sewage Connection in 7 days.

(xiv) Later, two more services were added on May, 2012, taking the number to 69.<sup>(13)</sup>

**Conclusion :**

Service delivery is one of the most important interfaces between a modern democratic state and its citizens. The aim of public service delivery is to deliver cost-effective, high-quality services. Citizens are not fully informed and aware of their rights, and public services are not delivered in an equitable, efficient and transparent manner. The bureaucratic institutions are aimed at providing various services to the citizens. Punjab has also attempted various other successful initiatives to improve the delivery of public Services. Most of these experiences came as pilot projects and have particularly used information and communication technology in delivery of services. Most prominent among these are- Suwidha (Single User-friendly Window Help Line for Applicants) Kendras/Centers. The PRTSA has provided the time limit for the delivery of notifying services and also has a provision of penalty between Rs. 500 to Rs. 5000 to the erring officials for not adhering to the time limit provided in the Act.

**References :**

(1) *Speech by Mr. John Major MP, "Conservative Central Council Annual meeting on 23rd March, 1991", referred in the Twelfth Report of the House of Commons Public Administration Select Committee, Session 2007-08 titled "From Citizens Charter to Public Service Guarantee Entitlements to Public Services", United.*

(2) *"Right to Public Services in India-The New Legal Scenario", Sindhu Thulaseedharan, Journal of Indian Law Institute, New Delhi, 2013, p.4.*

(3) *Ibid*

(4) *"Transparency International India, the coalition against corruption, Right to Public Services: A Guide", S.K. Agarwal, New Delhi, 2014, p.33. Retrieved www. tranparency India-org/ resource/ books/ rets. Pdf on Jan-2015, P.33.*

(5) *Ibid, p.8.9.*

(6) *Http's: // en. Wikipedia.org./Wiki/Right to Public services legislation, p.1.*

(7) *7http:rtspunjab.gov.in/aboutus.aspx?dcvhsdcvzhc*

(8) *Ramesh Kumar, Standardization key to Social Reforms, (2007), p. 77*

(9) *Sushil Kumar Singla and Himanshu Aggarwal "Impact and Scope of E-Governance Initiatives in State of Punjab (INDIA), International Journal of Computer Applications", Volume 44, No.14, April 2012. Retrieved from http:// research.ijcaonline.org/volume44/number14/pxc3878689.pdf on December 15, 2014.*

(10) *"Right to Service Act- The Indian Express", By Harpreet Bajba- Chandigarh, Nov. 2, 2012*

(11) *Ramesh Kumar (2007) : "Standardization key to Social Reforms", p. 77*

(12) *http/www.unescape.org/huset/gg/governance.htm (pdf)*

(13) *"House Passes Three Bill, Times of India," Sep.7, 2012.*



**UGC -**

**APPROVED - JOURNAL**

UGC Journal Details

<b>Name of the Journal :</b>	Research Link
<b>ISSN Number :</b>	09731628
<b>e-ISSN Number :</b>	
<b>Source:</b>	UNIV
<b>Subject:</b>	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
<b>Publisher:</b>	Research Link
<b>Country of Publication:</b>	India
<b>Broad Subject Category:</b>	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

The screenshot shows the UGC Approved List of Journals website. At the top, there is a navigation bar with links for Home, About Us, Organization, Commission, Universities, Colleges, and Publications. Below this, a search bar indicates the search for 'Research Link'. The results table shows one entry:

View	Sl.No.	Journal No	Title	Publisher	ISSN	E-ISSN
<a href="#">View</a>	1	4886	Research Link	Research Link	09731628	

At the bottom of the screenshot, there are three columns of links: 'For Students' (About NET, UGC NET Online, Ragging Related Circulars, File Universitys, Educational Loan), 'For Faculty' (Honours and Awards, UGC Regulations, Pay Related Orders, M.R.P), and 'More' (Notices, Circulars, Tenders, Jobs, UGC Role, Right to Information Act, Other Higher Education Links).



## भारतीय राजनीति में शक्ति-विभाजन एवं न्यायिक सक्रियता

प्रस्तुत शोधपत्र, भारतीय राजनीति में शक्ति-विभाजन एवं न्यायिक सक्रियता के विश्लेषण पर आधारित है। भारतीय लोकतंत्र में संविधान के तीन आधार स्तंभ हैं - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। शासन के इन तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक अंग अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आज देश की विधायी संस्था मात्र अव्यवस्था का केन्द्र बनकर रह गई है तथा कार्यपालिका ने कुछ मामलों में मनमाने आरण की स्थिति को अपनाया है। ये संवैधानिक संस्थाएँ अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर मौन है। ऐसी स्थिति में, जनतंत्र की रक्षा का समस्त दायित्व न्यायपालिका के कंधों पर आ गया है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों के मुद्दों पर न्यायपालिका ने अपनी सीमा रेखा से आगे जाकर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, लेकिन इस सिलसिले में न्यायपालिका की अति सक्रियता पर सवाल उठने लगे हैं। **कुँजी शब्द** : शक्ति विभाजन, न्यायिक सक्रियता, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाएँ, राजनीतिक अस्थिरता।

**प्रो.रामशंकर\* एवं कु.चाँदनी नायक\*\***

**प्रस्तावना :**

भारत एक अत्यंत प्राचीन एवं शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश है। देश का संविधान लागू होने के पश्चात् संविधान वेत्ताओं ने भारतीय राजनीति की दिशा निर्धारित करते हुए नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इत्यादि अधिकार प्रदान किए हैं। शासन के तीनों अंगों में विधायिका को कानून बनाने, कार्यपालिका को उन कानूनों को लागू करने तथा न्यायपालिका को कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति प्रदान की गयी। शक्ति-विभाजन से संबंधित आधारभूत विचार नवीन नहीं हैं, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू ने शासन को असेम्बली, मजिस्ट्रेट तथा जुडीशियरी नामक तीन भागों में बाँटा था, अरस्तू ने शासन को वैधानिक, प्रशासकीय एवम् न्यायिक रूप तथा इनके अलग-अलग कार्य मानकर राजशक्ति के पृथक्करण का संकेत दिया था। रोमन लेखक सिसरो और पोलीबियस की रचनाओं में भी शक्ति-पृथक्करण के बीज दिखाई देते हैं। संविदावादी विचारक जॉन लॉक ने विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों के विभाजन का जोरदार समर्थन किया था।

शक्ति-विभाजन सिद्धांत की सबसे सुंदर व्याख्या फ्रेंच लेखक मॉण्टेस्क्यू ने सन् 1748, में अपनी पुस्तक 'स्पिरिट ऑफ दी लॉज' में की थी। मॉण्टेस्क्यू के शब्दों में "यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों का एक-ही हाथों में केन्द्रीयकरण हो जाये, तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती है, क्योंकि इस बात का भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं राजा या सीनेट अत्याचारी कानून बनाये और उनको अत्याचारी ढंग से लागू करें। यदि न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका से अलग नहीं किया गया, तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती है, अगर न्यायपालिका

को व्यवस्थापिका के साथ मिला दिया गया, तो न्यायाधीश कानून निर्माता हो जाएगा यदि न्यायपालिका को कार्यपालिका के साथ मिला दिया गया, तो यह संभव है, कि न्यायाधीश अतिवादी और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करें।"<sup>(1)</sup>

वर्तमान समय में, भारतीय राजनीति में व्यवस्थापिका बनाम न्यायपालिका की सर्वोच्चता का मुद्दा चर्चित है, देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के परस्पर संबंधों में बहस भी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका पर क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज वह सिर्फ न्याय देने का ही कार्य नहीं करती, बल्कि एक सुधारक एवम् दिशा-निर्देशक की भी भूमिका अदा कर रही है। दरअसल, न्यायपालिका को ऐसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं, जो मूल रूप से संविधान द्वारा विधायिका एवम् कार्यपालिका पर अधिरोपित किए गए हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल दे रही है? क्यों न्यायालय ने विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण किया है? आखिर क्यों न्यायालय को कानूनी दायरों से बाहर आकर सक्रियता के साथ अनेक आदेश-निर्देश देने पड़ रहे हैं?

**न्यायिक सक्रियता से आशय :**

न्यायिक सक्रियता से अभिप्राय है, कि जब संघ एवं राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका एवम् कार्यपालिका जनता एवं अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक न हो और अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियों पर चलते हुए कानूनों का निर्माण करने की अपेक्षा जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों की उपेक्षा करने लगे तब ऐसी स्थिति में, न्यायपालिका कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक, आर्थिक न्याय

\*निदेशक, अम्बेडकर स्टडी सेन्टर एवं आचार्य (राजनीति शास्त्र विभाग), रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

\*\*शोधछात्रा (राजनीति शास्त्र विभाग), रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

की आवश्यकता को देखते हुए, जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिये निरंतर प्रयत्नशील रहकर सरकार को आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण आदेश-निर्देश देती है, ताकि शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाई जा सके। इसे ही 'न्यायिक सक्रियता' कहते हैं।

भारत में वर्ष 1980 के आसपास न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ और समय के साथ-साथ जनहित याचिकाओं के माध्यम से इस अवधारणा का विकास होता चला गया। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने तथा बाद में धीरे-धीरे उच्च न्यायालयों, विशेष न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों ने भी अपना लिया। न्यायिक सक्रियता के समर्थक न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने सन् 1982 में कहा था कि— "उच्चतम न्यायालय ने विगत दो वर्षों से देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यवस्था में सक्रिय दृष्टिकोण अपना लिया है।"

#### विश्लेषण :

भारतीय राजनीति में शक्ति-विभाजन एवं न्यायिक सक्रियता एक विडम्बनापूर्ण विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि एक ओर शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो दूसरी तरफ न्यायालय के द्वारा विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में दखल देकर एवम् उनकी शक्तियों का अतिक्रमण कर स्वयं ही आदेश-निर्देश दिए जा रहे हैं। आज व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की बढ़ती तादाद के कारण अब जनता का विश्वास इन संस्थाओं पर से उठ चुका है, साथ-ही विधायिका एवं कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता, जनहित के प्रति उदासीनता तथा अनुशासनहीनता के कारण ही न्यायिक सक्रियता बढ़ी है।

गौरतलब है कि 80 के दशक के पहले न्यायपालिका इन अर्थों में निष्क्रिय थी। वह अपनी सीमाओं में रहकर लोकहित-विषयों में स्वयं कोई पहल नहीं करती थी, केवल उन्हीं मामलों पर विचार करती थी, जो उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे। बाद में न्यायपालिका ने महसूस किया कि सार्वजनिक हित के कई ऐसे मामले हैं, जिनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिये न्यायपालिका ने जनहित वादों को मान्यता देकर सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में सराहनीय कदम उठाया। अपनी इसी सक्रियता के चलते अक्सर ही न्यायपालिका को राजनेताओं की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। कुछ वर्षों से न्यायिक सक्रियता का जो दौर चला है और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका पर जिस तरह से अंकुश लगाया उसकी संभावना 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (एनजेएसी) में कम ही थी। इससे न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना भी बढ़ गई थी, जो स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं कहा जा सकता है।<sup>(2)</sup>

शक्ति-विभाजन एवम् न्यायिक सक्रियता के मुद्दे को लेकर सरकार तथा न्यायालय में हमेशा ही टकराव की स्थिति देखने को मिलती रही है। कभी न्यायपालिका ने अपनी शक्तियों के दायरे से बाहर आकर अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिये, तो कभी संसद ने संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से न्यायालय पर लगाम लगाने का प्रयास किया। 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद' पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संविधान के आधारभूत ढाँचें के संदर्भ में था, भारतीय राजनीति में इस निर्णय को न्यायिक सक्रियता की

शुरुआत कहा जा सकता है, लेकिन विधायिका की आँखों में तो यह निर्णय खटक रहा था और रास्ते के इस काँटों को निकालने के लिए संसद ने 42वाँ संशोधन अधिनियम (1976) पारित कर दिया यह अधिनियम आपातकाल की निरंकुश सरकार के मस्तिष्क की उपज थी, जिसका उद्देश्य इस अधिनियम के माध्यम से 'संसद की सर्वोच्चता' स्थापित करना था।

संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति का अत्यधिक सुंदर ढंग से चित्रण करते हुये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा था कि— "संशोधन को संविधान के गले में फाँसी का फन्दा नहीं बनाया जा सकता, जिसे विधिपूर्ण मृत्यु की संज्ञा दी जा सके।"<sup>(3)</sup>

आमतौर पर यह धारणा रही है कि जब न्यायपालिका जन सवालों को लेकर सशक्त हस्तक्षेप करने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि विधायिका तथा कार्यपालिका कमजोर हो चुकी है, तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह बखूबी नहीं कर रही है। नोट के बदले वोट मामला, सीवीसी की नियुक्ति को रद्द करने, लाखों टन अनाज के भंडार गृहों के बाहर सड़ने, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण, कालेधन, लोकपाल एवम् लोकायुक्त की नियुक्ति पर निर्देश, महाराष्ट्र में सूखा तथा चुनाव आयोग को निर्देश, आई. टी. एक्ट की धारा-66 ए को रद्द करने, उत्तराखण्ड में रावत सरकार के बहुमत का परीक्षण कराने के सवाल पर अदालत का सशक्त हस्तक्षेप इस कमजोरी को उजागर करने के लिये काफी है। 2जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी, राष्ट्रमण्डल खेल, कोयला घोटाला तथा आई.पी.एल. के छठवें संस्करण में स्पॉट फिक्सिंग का मामला इत्यादि न्यायिक सक्रियता के कारण ही उजागर हुए हैं। इससे नेताओं, नौकरशाहों तथा बड़े रसूखदारों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है, जबकि इन मुद्दों पर सरकार को पहले ही कड़ाई से पहल करनी चाहिये थी परंतु अपनी कुर्सी को बचाने के लिये वह लीपा-पोती करने में लगी रही। अतः हाल ही के दिनों में, न्यायालय ने महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान करते हुए मंदिर-मस्जिद में उनके प्रवेश के अधिकार को सुनिश्चित किया, साथ-ही न्यायालय ने तीन तलाक को समानता का अधिकार वाले अनुच्छेद 14, 15 के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया।

निजता का अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की परिभाषा में एक नया आयाम जोड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि— "जीवन और व्यक्तिगत आजादी मानव के अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में कहा गया है, ये अधिकार मनुष्य को आदिकाल से मिले हुए हैं, ये अधिकार प्रकृति के कानून का हिस्सा है।" तथा निजता के अधिकार की यह प्रतिष्ठा आजादी और स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है और कोई भी सभ्य राज्य बिना कानून की इजाजत इस पर कुठाराघात नहीं कर सकता है।<sup>(4)</sup>

उच्चतम एवम् उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिये मोदी सरकार ने कॉलेजियम प्रणाली की जगह जिस 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' का गठन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर, 2015 को 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' कानून (2014) को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया। इस न्यायिक नियुक्ति के संदर्भ में संसद की सर्वोच्चता को दरकिनार

करते हुए न्यायालय ने कहा था कि, “संविधान के बुनियादी ढाँचों में संसद किसी तरह का दखल नहीं दे सकती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के बुनियादी ढाँचों का हिस्सा है।”<sup>(6)</sup>

इस प्रकार विधायिका एवम् कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका के दखल की बात लम्बे अरसे से की जाती रही है। पिछले वर्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की ओर से न्यायपालिका को अपनी लक्ष्मण रेखा स्वयं तय करने और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल न देने की बात कही थी।<sup>(6)</sup> इस पर देश के मुख्य न्यायाधीश टी.एस.ठाकुर ने केन्द्र सरकार पर पलटवार करते हुये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का किसी भी संस्था के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। लोग जब सरकारी मशीनरी से मायूस होकर कोर्ट आते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को अपना धर्म निभाना पड़ता है, उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की कोई खाहिश या कोशिश नहीं है कि वह सरकार का काम अपने हाथों में ले अथवा सरकार की नीतियों को स्वयं तय करें। हमारी ये मजबूरी है कि अगर कहीं पर कोई काम जो होना चाहिए, यदि संविधान के मुताबिक या कानून के अनुसार नहीं हो रहा है, तो उसको करवाया जाये। हम तो यह चाहते हैं कि जिस संस्था का जो फर्ज है, उस संस्था को सक्रिय किया जाये और उससे कहा जाये कि आप यह काम करो। यही तो देश का सिस्टम है।<sup>(7)</sup>

न्यायिक सक्रियता की यह प्रवृत्ति और स्थिति उच्चतम स्तर के राजनीतिज्ञों और सर्वोच्च स्तर पर आसीन समस्त अभिजनों के लिए एक चैतावनी है। न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर भ्रष्टाचार और अराजकता की हद पार कर चुकी राजनीति पर लगाम लगाने और उसे पतित होने से बचाने की चेष्टा की है, और यदि न्यायिक सक्रियता के आधार पर देश का नैतिक नेतृत्व न्यायपालिका के हाथों में चला गया है, तो यह दोष विधायिका और कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का नहीं।<sup>(7)</sup>

आधुनिक राज्यों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता के आधारभूत अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका आधुनिक समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। अतः न्यायिक सक्रियता के विषय में जन-साधारण का विचार है कि— “न्यायिक सक्रियता के प्रकाश को और आगे तक ले जाने की नितान्त आवश्यकता है। निःसंदेह न्यायपालिका ने बहुत अधिक विश्वसनीयता के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था एवम् सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के प्रहरी की भूमिका निभाई है।”<sup>(8)</sup>

सुझाव :

प्रथम, विधायिका एवम् कार्यपालिका को जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना एवं उन्हें लागू करना चाहिए। दूसरा, संसद के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिये। तीसरा, न्यायालय के द्वारा लोकहित एवं देशहित में सुनाये गये फैसलों पर संसद द्वारा उसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए तथा न ही अध्यादेश लाया जाये। चौथा, सरकार को विभिन्न जाँच एजेंसियों के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, ताकि निष्पक्ष रूप से जाँच संभव हो सके। पाँचवा, ऐसी संवैधानिक परम्पराओं का विकास किया जाना चाहिए, जिससे

शासन के तीनों अंग अपनी-अपनी सीमाओं के अंदर एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किये बिना मिलजुल कर कार्य कर सकें। छटवों, शासन के तीनों अंगों द्वारा नियंत्रण एवम् संतुलन के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए।

**निष्कर्ष :**

शक्ति-विभाजन बनाम न्यायिक सक्रियता पर इतने विचार मंथन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से विधायिका और कार्यपालिका का रवेया देखने को मिल रहा है, जनता के हित एवम् अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर विधायिका तथा कार्यपालिका कानून बनाने एवम् क्रियान्वित करने की अपेक्षा चुप्पी साधे हुई है, और इससे जिस तरह देश में राजनीतिक अव्यवस्था फैल रही है तब न्यायपालिका का सक्रिय होना बिल्कुल उचित है, क्योंकि यदि न्यायपालिका भी सरकार के प्रति समर्पित हो जाएगी, तो जन साधारण अपनी फरियाद लेकर भला किसके पास जाएगा। अतः आवश्यक यही है कि सभी संवैधानिक संस्थाएँ संविधान के मूल स्रोत को स्वीकार कर अपनी जबाबदेही समझें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें।

**संदर्भ :**

- (1) अग्रवाल, रामचन्द्र (1972) : आधुनिक संविधानों की रूपरेखा, एस.चन्द्र एंड कंपनी, दिल्ली, पृष्ठ 218.
- (2) राज एक्सप्रेस, 19 अक्टूबर, 2015, जबलपुर संस्करण, पृष्ठ 6.
- (3) बाबेल, बसंतिलाल, (1997) : संसद, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृष्ठ 47.
- (4) राज एक्सप्रेस, 25 अगस्त, 2017, जबलपुर संस्करण, पृष्ठ 1.
- (5) राज एक्सप्रेस, 11 अक्टूबर, 2017, जबलपुर संस्करण, पृष्ठ 6.
- (6) नई दुनिया, 21 मई, 2016, जबलपुर संस्करण, पृष्ठ 6.
- (7) राज एक्सप्रेस, 8 जून, 2016, जबलपुर संस्करण, पृष्ठ 7.
- (8) नारायण, इकबाल (1974) : भारतीय सरकार एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृष्ठ 189.



**UGC -**

**APPROVED - JOURNAL**

The screenshot shows the UGC Approved List of Journals website. The search results table is as follows:

View	Sl.No.	Journal No	Title	Publisher	ISSN	E-ISSN
View	1	4895	Research Link	Research Link	09731628	

Showing 1 to 1 of 1 entries





## दलित महिलाओं का सशक्तिकरण : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र, दलित महिलाओं के सशक्तिकरण के अध्ययन से सम्बंधित है। दलित महिलाएँ शताब्दियों से उत्पीड़ित रही हैं, किन्तु यह भी सत्य है कि उनके उद्धार के लिए प्राचीनकाल से ही समाज में सुधार के लिए आवाज उठती रही है। मध्यकाल में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, जस्टिस एम.जी.रानाडे, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, गाँधीजी, अम्बेडकर आदि समाज-सुधारकों ने आवाज उठाई है। वर्तमान की बात करें तो अब बहुत हद तक दलित महिलाओं को सम्बंधित नियोग्यताओं को समाप्त किया जा चुका है। देश के विभिन्न भागों में दलित महिला जातियाँ संगठित समूहों के रूप में उदित हुई हैं। अब सशक्तिकरण से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में अधिकार के प्रति जागरूक होना अनिवार्य है। शैक्षिक समानता के अवसरों से आधुनिक मूल्यों के रूप में समानता बन्धुता के मूल्यों का विस्तार किया जाना दलित महिलाओं की चेतना, आधुनिकीकरण एवं सामाजिक विकास में एक समता मूलक समाज की स्थापना में सहायक हो सकती है। लोकतंत्र की सफलता में सशक्त दलित महिलाओं की चेतना महत्वपूर्ण है।

### डॉ.मालती तिवारी

**द**लित की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

समाज में जन्म और पेशे के आधार पर जिन लोगों को सबसे अधिक अपवित्र माना गया, हिन्दू स्मृतियों के द्वारा उनके स्पर्श पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जिस मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है, उसमें यहाँ तक नियम बना दिया गया कि कुछ जातियों के लोगों को देख लेने मात्र से ही एक सवर्ण व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और पुनः पवित्र होने के लिए उसे प्रायश्चित्त करना आवश्यक है। मध्यकाल तक हिन्दू समाज इतना धर्मान्ध और अंधविश्वासी बन गया कि वैदिक कर्म को तिलांजलि देकर स्मृतियों में दिये गए विधानों के अनुसार अपवित्र कही जाने वाली जातियों को सभी तरह की सुविधाओं से वंचित करके, उनका अमानवीय शोषण किया जाने लगा।

ब्रिटिश शासनकाल में अस्पृश्य जातियों की स्थिति बहुत दयनीय रही। इसके बाद भी आर्य समाज ने अपने सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत इन जातियों को 'दलित जाति' के नाम से संबोधित करके इनके लिए अन्य हिन्दू जातियों की तरह समान सुविधाएँ और समान अधिकार देने की आवाज उठायी। सन् 1931 की जनगणना के आयुक्त जे.एच. हट्टन (J.H. Hutton) ने इन जातियों को 'बाहरी जाति' (exterior caste) के नाम से संबोधित किया। महात्मा गाँधी वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने कट्टरतावादी हिन्दूओं के विरोध के बाद भी अछूत कहे जाने वाले लोगों को हिन्दू समाज का अभिन्न अंग मानते हुए उन्हें 'हरिजन' कहना आरंभ किया।

**दलित वर्ग का अभिप्राय :**

डॉ. अम्बेडकर ने 'दलित वर्ग' शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि जो लोग गरीब, शोषित तथा सामाजिक और धार्मिक

अधिकारों से वंचित हैं, उन्हीं को हम दलित कहते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि दलित शब्द से हमारा अभिप्राय उन लोगों से है, जो उच्च जातियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से शोषित होने के कारण तरह-तरह के अभावों के कारण गरीबी के निम्नतम स्तर पर हैं तथा सामाजिक अपमान के साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। वास्तव में दलित शब्द परम्परागत 'अछूत' शब्द के ही समानान्तर है। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि जिन जातियों को हम अनुसूचित जातियाँ कहते हैं। डॉ. मजूमदार ने परम्परागत अछूत जातियों और दलित वर्ग के बीच कोई अंतर न मानते हुए लिखा है कि 'अछूत जातियाँ' वे हैं, जो बहुत सी सामाजिक और राजनीतिक नियोग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से अधिकांश नियोग्यताओं को धार्मिक के द्वारा निर्धारित करके उन्हें उच्च जातियों द्वारा लागू किया गया। इसके विपरीत यदि समुदाय के किसी भाग को जाति व्यवस्था के नियमों के आधार पर आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुविधाओं से वंचित करके उसे तिरस्कृत और अपमानित किया जाता है, तब लोगों को ऐसे वर्ग को हम दलित कहते हैं।

**पंचायतों में दलित नेतृत्व :**

मनुवादी वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था स्वयं अपने ही चक्रव्यूह में फँसी लेख में बताया कि मनुवादी व्यवस्था के कारण अनेक निम्न एवं अस्पृश्य जातियाँ निर्मित हुई। इन्हें शिक्षा, संपत्ति, राजनीति, समानता जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित रखकर उच्च जातियों (ब्राह्मण क्षत्रिय) को असीमित अधिकार दिए गए, लेकिन स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी अस्पृश्यता एवं असमानता को अधिकार मानकर आरक्षण की व्यवस्था की गई। मण्डल सिफारिशों लागू होने के कारण आरक्षण का दायरा अन्य पिछड़ा वर्ग तक

सहायक प्राध्यापक ( राजनीति शास्त्र विभाग ), शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द्र  
( छत्तीसगढ़ )

व्यापक हो गया। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण व्यवस्था निम्नतम स्तर तक पहुँची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिला। आज स्वयं ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसे उच्च जातियाँ जो एक समय आरक्षण के सख्त खिलाफ थी, अब स्वयं अपने लिए आरक्षण की माँग कर रही हैं।

पहले पंचायती राज संस्थाओं पर उच्च जाति के सदस्यों या जमींदारों का एकाधिकार था, परन्तु प्रायः अब ऐसा नहीं है। इन संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था के कारण अब इनमें उच्च/सवर्ण जातियों या आर्थिक दृष्टि से संपन्न जातियों का स्वामित्व नहीं रह गया है। अपितु समाज का निम्नतम वर्ग (दलित/महिला) भी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सक्रिय भूमिका निभा रही है। पंचायती राज में महिला का सबसे बड़ा प्रभाव राजनीतिक संरचना पर पड़ा है। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक चेतना जागृत हुई है तथा स्थानीय नेता धीरे-धीरे उच्च स्तर पर अपने राजनीतिक गठबंधन कर रहे हैं। खण्ड अथवा पंचायत समिति स्तर पर ऐसे गठबंधन काफी शक्तिशाली बन गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दलित महिलाओं का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गाँवों के आर्थिक विकास में केवल पिछड़े वर्गों और दलित महिलाओं की ही भागीदारी होती है, जबकि सामंती परम्परागत संस्कारों के जकड़े होने के कारण आज भी उच्च वर्ग की महिलाएँ घर के बाहर किसी प्रकार का कोई श्रम या व्यवसाय करने नहीं निकलती हैं। यह स्थिति शहरों की स्थिति से भिन्न है, जहाँ उच्च तथा माध्यम वर्ग की महिलाएँ नौकरी या व्यवसाय में पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चल रही हैं, जबकि पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाएँ कम या अशिक्षित होने के कारण रोजगार की प्रतियोगिता से बाहर हो जाती हैं। गाँवों में श्रम कार्य करने वाली महिलाएँ सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की होती हैं, अतः उन्हें स्वाभाविक रूप से ज्यादा शोषण का शिकार होना पड़ता है।

इन आकड़ों में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों का आंकलन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायतों में 3,31,133 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जाति की और 2,23,959 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति की हैं। जनपद पंचायत में 23,758 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जाति की तथा 13,477 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति की हैं। जिला पंचायतों में 2,100 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जाति और 1099 महिला प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति की हैं। इन आकड़ों से पता चलता है कि देश के 19 राज्यों में 7,24,104 महिलाएँ प्रतिनिधि के रूप में चुनी गयी हैं।

#### दलितों की समस्याएँ :

भारत में दलित जातियों की समस्याओं को सबसे पहले यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्र आन्दोलन के दौरान अनुभव किया।

(1) सामाजिक विभेद की समस्या, (2) उच्च जातियों द्वारा शोषण, (3) हरिजन महाजनों द्वारा शोषण, (4) आन्तरिक असामनता की समस्या, (5) अन्तर्जातीय तनाव की समस्या, (6) अशिक्षा, (7) मद्यपान एवं नशीले पदार्थों की समस्या, (8) राजनीतिक शोषण की समस्याएँ।

#### उपाय :

जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के प्रयत्नों से यह महसूस किया

जाने लगा कि अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार किए बिना उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जा सकता, इसके फलस्वरूप महात्मा गाँधी ने अस्पृश्य जातियों को हरिजन अर्थात् ईश्वर की सन्तान कहकर उनके सामाजिक, आर्थिक शोषण को दूर करने का विशेष बल दिया गया।

(1) हिन्दू समाज में परम्परागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए।

(2) दलित महिला वर्गों को संगठित व शिक्षित किया जाए।

(3) विधान मंडल व महिला आरक्षण पर बल दिया जाए।

(4) महिला दलित वर्गों के विकास के लिए उन्हें विशेष सुविधाएँ दी जाएं।

(5) छात्राओं को छात्रवृत्तियों तथा रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए।

(6) तकनीकी शिक्षा के लिए देश, विदेश में अध्ययन करने व प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपयुक्त सुविधाएँ और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

(7) राजनीतिक, सामाजिक प्रशासकीय क्षेत्रों में स्थान।

(8) दबाव मुक्त जीवन जीने का अधिकार।

#### दलित महिलाओं की सामाजिक विडम्बना :

भारतीय समाज की यह विडम्बना रही है कि जाति से जुड़ी वैचारिक मान्यताओं के कारण निम्न जाति के लोगों को सदैव उपेक्षित, विपन्न, सर्वहारा और दलित शब्द के संबोधन से जोड़कर देखा जाता रहा। इस प्रकार दलित वर्ग को वैचारिक तथा संरचनात्मक स्तर पर भारतीय समाज की असंवेदनशील रीति-रिवाजों के कारण एक तिरस्कार की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। रोजगार के साधन जो उसे मिले, उसे सिवा तिरस्कार और मानवीय मूल्यों की गरिमा को कुचला तथा दबाया गया। इस संदर्भ में दलित महिलाओं को दोहरी मार का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो उसे महिला होने के कारण पुरुष प्रधान समाज की पितृरूपतामक मूल्यों का शिकार होना पड़ता है। साथ ही अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के कारण शूद्रों से जुड़ी मान्यताओं के दर्द को भी सहने पर विवश होना पड़ता है। इस शोधपत्र में दलित महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित अधिकारों की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है। विशेषकर उन दलित महिलाओं का अध्ययन किया गया है, जो मैला ढोने तथा सफाई के काम से जुड़ी हैं। इस प्रकार के सफाई तथा मैला ढोने के काम से जुड़े श्रमिकों को गरिमा की बात करना सहज रूप से बेमानी है और उनके लिए मानवाधिकार के मानवीय मूल्यों का संरक्षण कर उसे बचाये रखना भी एक मिथक है। आजादी के बाद किए गए समझौते के कारण आए बदलावों के बावजूद आज की दलित व्यक्ति अनपढ़, कुपोषित, भूमिहीन, मजदूर हैं, जो जीविकापार्जन के लिए कई तरह के शोषणों के जाल में फंसा है। वह सैकड़ों सालों से विकसित तंत्र का शिकार है।

#### सशक्तिकरण की ओर अग्रसर :

समाज या देश की प्रगति तब तक संभव नहीं है, तब तक महिलाओं की प्रगति नहीं हो सकती। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है, मैं किसी समाज की उन्नति का अनुमान इस बात पर नहीं लगा सकता कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है, नारी

की उन्नति के बिना परिवार समाज एवं राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। हमारे देश की आधी आबादी आज भी गुलामी का जीवन जी रही है। समाज व्यवस्था में उसे पुरुष के अधीन बताकर उस पर तमाम प्रतिबंध लाद दिए गए हैं। निश्चित रूप से आज महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। एक वर्ग की महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर अपनी अस्मिता और अस्तित्व की खोज की है।

यह सत्य है कि दलित महिलाएँ शताब्दियों से उत्पीड़ित रही हैं, किन्तु यह भी सत्य है कि उनसे उद्धार के लिए प्राचीनकाल से ही समाज में सुधार के लिए आवाज उठती रही है। मध्यकाल में राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, जस्टिस एम.जी. रानाडे, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, गाँधी जी, अम्बेडकर आदि समाज सुधारकों ने आवाज उठाई है। आज वर्तमान समय की यदि बात करें, तो अब बहुत हद तक दलित महिलाओं को संबंधित निर्याग्यताओं को समाप्त किया जा चुका है। देश के विभिन्न भागों में दलित महिला जातियाँ संगठित समूहों के रूप में उदित हुई हैं। अब सशक्तिकरण से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में अधिकार के प्रति जागरूक होना अनिवार्य है। शैक्षिक समानता के अवसरों से आधुनिक मूल्यों के रूप में स्वस्ता, समानता बन्धुता के मूल्यों का विस्तार किया जाना दलित महिलाओं की चेतना, आधुनिकीकरण एवं सामाजिक विकास में एक समता मूलक समाज की स्थापना में सहायक हो सकती है। लोकतंत्र की सफलता में सशक्त दलित महिलाओं की चेतना महत्वपूर्ण है। भारत जैसे धर्म सम्मत एवं विकासशील राष्ट्र में जहाँ जाति व्यवस्था, समाज व्यवस्था का पर्याय भी थी, वहीं अब उसका दूसरा स्वरूप सशक्तिकरण के रूप में देखने को मिल रहा है, परिवर्तन समाज का शाश्वत सत्य है। अतः इनकी स्वयं की जागरूकता एवं संविधान में बनाए गए नियमों को कठोरता से लागू किए जाने के कारण अब दलित महिलाओं के जो भाव उद्विग्न होते जा रहे हैं, उसमें अवश्य कमी आती जा रही है। शिक्षा और समानता के उद्देश्य को लेकर दलित महिलाओं को प्रभावशील रूप में सशक्त होती जा रही है।

भारतीय जनसंख्या में दलित का प्रतिशत 16.6 है। प्रत्येक 6 भारतीय में एक भारतीय दलित है। उनमें से महिला दलित का आधा भाग है।

महिला दलित महिला सशक्तिकरण को दलित आंदोलन देश राज्य धर्म शोषण के दूसरे तरीकों और संस्कृति पर खुल कर विचार करना, परिभाषित करना होगा, जिसमें एक स्वतंत्र समानता और भाईचारे पर आधारित एक नया दलित महिला सशक्त समाज बनाना होगा।

#### सन्दर्भ :

- (1) अग्रवाल, डॉ.जी.के. : भारत में समाज, पृ. 110, 11, 112, 113.
- (2) डॉ. पूरण मल : पंचायती राज एवं दलित नेतृत्व, पृ. 127.
- (3) शर्मा, डॉ. अम्बिका प्रसाद : छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार, पृ. 256, 257.
- (4) डॉ. एस. अखिलेश : भारतीय समाज : मुद्दे एवं समस्याएँ, पृ. 681, 682.
- (5) चतुर्वेदी, अरुण : भारत में मानवाधिकार, पृ. 68.

(6) प्रोफेसर बृजगोपाल : रिसर्च जनरल ऑफ सोशल लाईफ साईंस, पृ. 227, 228.

(7) इतवारी अखबार, दिनांक 22 दिसम्बर 2013.

(8) अग्रवाल, डॉ. गोपाल कृष्ण : भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएँ।



## UGC - APPROVED - JOURNAL

The screenshot shows the UGC Approved List of Journals website. The search results for 'Research Link' are displayed in a table with the following columns: View, Sl.No., Journal No., Title, Publisher, ISSN, and E-ISSN. The table shows one entry with Sl.No. 1, Journal No. 4896, Title 'Research Link', Publisher 'Research Link', and ISSN '09731628'. Below the table, there are navigation options for 'For Students', 'For Faculty', and 'More'.

The screenshot shows the UGC Journal Details page for 'Research Link'. The details are as follows:

- Name of the Journal: Research Link
- ISSN Number: 09731628
- e-ISSN Number:
- Source: UNIV
- Subject: Accounting; Anthropology; Business and International Management; Economics, Econometrics and Finance(all); Education; Environmental Science(all); Finance; Geography, Planning and Development; Law; Political Science a; Social Sciences(all)
- Publisher: Research Link
- Country of Publication: India
- Broad Subject Category: Arts & Humanities; Multidisciplinary; Social Science

A 'Print' button is visible at the bottom of the details section.

‘रिसर्च लिंक’ की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है-

**बैंक :** स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

**ब्रांच :** ओल्ड पलासिया, इन्दौर,

**कोड -** **SBIN 000 3432**

**खाते का नाम :** रिसर्च लिंक,

**खाता नंबर -** **63025612815**

भुगतान की मूल रसीद, शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालयीन पते पर भेजना अनिवार्य है।



## सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन (रायपुर जिले की ग्राम पंचायतों के संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन से सम्बंधित है। सर्वशिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत अटलबिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया। जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों (2001 में 205 मिलियन अनुमानित) की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करना है। सर्वशिक्षा अभियान में 8 मुख्य कार्यक्रम हैं, इसमें आईसीडीएस, आंगनबाड़ी और केजीबीवीआई भी शामिल हैं। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई, जिसमें सारी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया, बाद में यह योजना सर्वशिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई है। कुँजी शब्द : सार्वभौमिकीकरण, मौलिक अधिकार, सर्वशिक्षा अभियान।

डॉ.सुनीता मिश्रा\* एवं कंचन बंजारे\*\*

प्रस्तावना :

“शिक्षा से विकास, सुख और सुविधा के तमाम रास्ते खुलते हैं।” इसलिए संविधान के 86 वें संशोधन के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना सभी का मौलिक अधिकार बन गया है। अतः सभी को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने की व्यवस्था करना शासन की नैतिक व संवैधानिक कर्तव्य है। देश में शिक्षा को अग्रसर और अग्रणी बनाने के लिए तथा लोगों को जागरूक शिक्षित बहुआयामी बनाने के लिए शासन का सराहनीय कदम है। जनहित की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए, लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षित बनाने, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए केन्द्र तथा राज्य शासन की भागीदारी से संचालित “राजीव गाँधी शिक्षा मिशन” के तहत “सर्वशिक्षा अभियान” चलाया जा रहा है। इसे देश के सभी स्थानों संचालित करने का लक्ष्य है। “राजीव गाँधी शिक्षा मिशन” एक पंजीकृत स्वशासी संस्था है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में “राजीव गाँधी शिक्षा मिशन” –सर्वशिक्षा मिशन वर्ष 2001-02 से संचालित किया जा रहा है। इसका गठन 19 मार्च 2001 को हुआ है। इस अभियान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण किया जा चुका है। इसके तहत 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 5वीं तथा कक्षा 8वीं तक अनिवार्य निःशुल्क एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किया जाना है।

राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के उद्देश्य :

(1) 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और पासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।

(2) 6 से 14 वर्ष के बच्चों के स्कूलों का प्रबंध करना।

(3) समुदाय में सक्रियता।

(4) क्षेत्रीय समुदाय की सहभागिता।

(5) समाजिक कार्यों में सक्रियता।

(6) लैंगिंग विषमताओं का अन्त करना।

राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लक्ष्य :

(1) सभी बच्चों द्वारा 5 वर्ष की प्राथमिक स्कूल शिक्षा पूरी कराना।

(2) सभी बच्चों द्वारा 8 वर्ष की माध्यमिक स्कूल शिक्षा पूरी कराना।

(3) प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।

(4) जीवन के लिए शिक्षा के स्तर को संतोषजनक स्तर तक बढ़ाना।

(5) शत प्रतिशत बच्चों को शिक्षा में बनाये रखना।

अध्ययन विषय का राजनीतिक महत्व :

अध्ययन विषय की कार्यप्रणाली में जनप्रतिनिधि की भूमिका:

राजीव गाँधी शिक्षा मिशन एक पंजीकृत संस्था है। इसका गठन 19 मार्च 2001 को किया गया। मिशन में साधारण सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ पदेन सभापति हैं तथा स्कूल शिक्षा एवं आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री पदेन उपसभापति हैं। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव एवं आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास महिला

\*सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग), शासकीय नवीन महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

\*\*शोधछात्रा, सेठ आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

एवं बाल विकास विभाग के सचिव पदेन सदस्य है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव पदेन सदस्य है। आयुक्त सूचना एवं प्रकाशन संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मिशन संचालक राजीव गाँधी शिक्षा मिशन एवं अतिरिक्त मिशन संचालक राजीव गाँधी शिक्षा मिशन पदेन सदस्य है। मनोनीत सदस्यों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि शामिल है। इस सभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मनोनीत सदस्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति शामिल है। मिशन के कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पदेन अध्यक्ष है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव पदेन सदस्य है। राजीव गाँधी मिशन के संचालक पदेन सदस्य सचिव है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एवं पंचायत प्रतिनिधि शामिल है।

#### शोध साहित्य का पुनरावलोकन :

(1) दास, डी.एन.(2002), इन्होंने हरियाणा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा एवं समुदाय की भागीदारी का क्या प्रभाव है एवं प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर इन्होंने विशेष अध्ययन किया है।

(2) द्विवेदी, आर.एस. एवं शर्मा जे.पी. (1977), ने चरणबद्ध स्कूली कार्यक्रमों का मूल्यांकन मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में अध्ययन कर बताया है कि स्कूल में शिक्षा के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तथा उन कार्यक्रमों के तहत कैसी शिक्षा दी जाती है।

(3) गैन्ट (1998), इस साहित्य में क्रमबद्ध स्कूलों की श्रृंखला 1,2,3,4,5 जो कि राजीव गाँधी शिक्षा मिशन भोपाल पर आधारित है। इस साहित्य में राजीव गाँधी शिक्षा मिशन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया है।

#### उद्देश्य :

- (1) जिले में सर्वशिक्षा अभियान की कार्यप्रणाली को जानना।
- (2) जिले में सर्वशिक्षा अभियान की कार्यप्रणाली में जन प्रतिनिधि की भूमिका का महत्व।
- (3) रायपुर जिले में सर्वशिक्षा अभियान राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत अर्जित उपलब्धियाँ।
- (4) राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिशन द्वारा बनाई गई योजनाओं की जानकारी हासिल करना।
- (5) मिशन के लिए जिला प्रशासन का नवाचार शिक्षा योजना को जानना।
- (6) मिशन के लिए लाभान्वित क्षेत्रों का मूल्यांकन करना।

#### परिकल्पना :

- (1) राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका संतुष्टिपूर्ण एवं प्रगतिशील हो सकती है।
- (2) शिक्षा स्तर जिला के साथ-साथ देश में भी बढ़ेगा।
- (3) कार्यक्षेत्र के जनप्रतिनिधि अत्यधिक जागरूक एवं उत्तेजनापूर्ण कार्य पर ध्यान आकर्षित होंगे।
- (4) शहरों की शिक्षा गाँवों में पहुँचेगी।
- (5) रायपुर जिला सम्पूर्ण शिक्षा उन्मुख होगा।
- (6) शिक्षा को अधिक सरल एवं सुविधा युक्त बनाया जाएगा

(7) गाँवों के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी।

#### अध्ययन क्षेत्र :

अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला है। रायपुर जिले में 4 विकासखण्ड है। धरसीवा, आरंग, तिल्दा और अभनपुर उपरोक्त सभी विकासखण्डों पर राजीव गाँधी शिक्षा मिशन का अध्ययन करना है। जिसके अंतर्गत 300 उत्तरदाताओं से उनका सर्वशिक्षा अभियान के बारे में अभिमत प्राप्त करना, विश्लेषण करना। इसमें 4 विकासखण्डों से चयनित सभी लोगों से साक्षात्कार लेना है।

#### निष्कर्ष :

प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु सर्वशिक्षा अभियान का कार्यान्वयन भरत के मुख्य कार्यक्रम के तौर पर किया जा रहा है। इसके समग्र लक्ष्यों में शामिल है- सार्वभौमिक सुलभता, शिक्षा में सामाजिक श्रेणी एवं बालक-बालिका के अंतरों को दूर करना तथा बच्चों के अधिगम स्तरों में बढ़ोत्तरी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नये स्कूलों का निर्माण एवं खोला जाना, अतिरिक्त अध्यापक, नियमित अध्यापक, सेवाकालीन प्रशिक्षण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश सुनिश्चित करने के लिए अकादमिक संसाधन सहायता एवं अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए निःशुल्क सहायता प्रदान किया जाना शामिल है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 न्यायोचित कानूनी ढाँचे का प्रावधान करता है, जो 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का अधिकार देता है। यह बच्चों के साम्यता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित अधिकार के लिए प्रावधान करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों का ऐसी शिक्षा का अधिकार देता है जो डर, दबाव और चिंता से मुक्त है।

#### संदर्भ :

- (1) अग्रवाल, आर.सी. (2007) : भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, एस.सी.एण्ड कंपनी लिमिटेड, दिल्ली।
- (2) बाजपेयी, सुभाष (2007) : छत्तीसगढ़ में राजनैतिक सामाजिकरण, लोकवाणी संस्था, शाहदरा, दिल्ली।
- (3) गुप्ता, डी.सी. (1972) : इंडियन गवर्नमेंट एण्ड पालिटिक्स, दिल्ली।
- (4) जैन, पुखराज (2003) : भारतीय शासन एवं राजनीति, आगरा, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स।
- (5) कश्यप, सुभाष (1997) : हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।

#### वेबसाइट :

- (1) [www.ssachhattisgarhorg.com](http://www.ssachhattisgarhorg.com)
- (2) [www.cg.gov.in](http://www.cg.gov.in)





## सीहोर विधानसभा क्षेत्र : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र सीहोर विधानसभा क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन से सम्बंधित है। मध्यप्रदेश विधानसभा के 230 निर्वाचन क्षेत्र में से एक क्षेत्र सीहोर है। भौगोलिक दृष्टिकोण से सीहोर मालवा की समतल भूमि पर बसा हुआ है। यह 22.32 से 23.40 अक्षांश उत्तर तथा 76.22 से 78.03 देशांश पूर्व के बीच में स्थित है। सीहोर विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारंभ में भोपाल, सीहोर की एक तहसील मात्र था। सीहोर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है, बुधनी, आष्टा, इछावर तथा सीहोर बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान है। सीहोर का प्राचीन नाम 'सिद्धपुर' है। यहाँ मुख्यतः हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा जैन रहते हैं। यहाँ की संस्कृति भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत है।

### डॉ.आभा जैन

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन के 230 क्षेत्र में से एक क्षेत्र सीहोर विधानसभा है। यह सामान्य विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत है। मध्यप्रदेश में 154 सामान्य, 36 अनुसूचित जाति तथा 40 अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं। सीहोर विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारंभ में भोपाल (वर्तमान में मध्यप्रदेश की राजधानी) सीहोर जिले के अंतर्गत आता था भोपाल, सीहोर की एक तहसील मात्र था। सीहोर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति इस क्षेत्र के वातावरण एवं जनसामान्य से प्रभावित होती है। अतः क्षेत्र का अध्ययन करने से पूर्व यहाँ के वातावरण को समझना आवश्यक है।

#### भौगोलिक स्थिति :

**स्थिति एवं क्षेत्रफल :** भौगोलिक दृष्टिकोण से सीहोर मालवा की समतल भूमि पर बसा हुआ है। यह 22.32 से 23.40 अक्षांश उत्तर तथा 76.22 से 78.03 देशांश पूर्व के बीच में स्थित है। सीहोर मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 39 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल-इंदौर मार्ग पर स्थित है। इसके उत्तर में भोपाल, पूर्व में रायसेन, दक्षिण पूर्व में होशंगाबाद, उत्तर पश्चिम में शाजापुर तथा पश्चिम में देवास जिला स्थित है। सीहोर का क्षेत्रफल 6578.00 वर्ग किलोमीटर (जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार) है। यह समुद्री सतह से लगभग 1500 फीट की सामान्य ऊँचाई पर स्थित है, किन्तु सर्वाधिक ऊँचाई 2107 फीट सीहोर तहसील के ग्राम अमामाय नामक स्थान पर है।

**जलवायु :** सीहोर जिले की जलवायु समशीतोष्ण है। यहाँ का सर्वाधिक तापमान मई में 45 डिग्री सेल्सियस (वर्ष 2010) तथा न्यूनतम तापमान जनवरी में 4.5 डिग्री सेल्सियस (वर्ष 2011) रिकॉर्ड किया गया। जलवायु की दृष्टि से वर्षा का मौसम जून से मध्य सितम्बर माह तक रहता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून से इस

क्षेत्र में औसत वर्षा 815 मि.मी. के लगभग हो जाती है। सीहोर जिले का वन क्षेत्र 1,526.63 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिसमें सागौन, साल, साजड, तेन्दु, महुआ, खैर, बांस, बबूल, इररा, बहेड़ा आंवला आदि वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा औषधीय वनस्पति भी पाई जाती है। सीहोर में वन ग्राम की संख्या 35 है। सीहोर की जीवन दायिनी नदी सीवन (शिववती) का सीधा प्रवाह और जल संबंध गंगा से है। सीवन, पार्वती तथा चंबल ये सारी नदियाँ उत्तर की ओर बहती है, ये इन नदियों की प्राकृतिक विशेषता है।

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :** सीहोर का प्राचीन नाम "सिद्धपुर" है। सीवन नदी के कारण इसका नाम सिद्धपुर पड़ा। अंग्रेजों के कारण बाद में सिद्धपुर से सीहोर बन गया। सीहोर जिला ऐतिहासिक एवं कृषि प्रधान जिला है। मध्यप्रदेश के गठन के पूर्व यह भोपाल राज्य के दो जिलों में से एक था। जिसे निजातम-ए-मशरीक के नाम से जाना जाता था। अक्टूबर 1972 से पूर्व राजधानी भोपाल इसी जिले के अन्तर्गत आती थी।

#### सीहोर जिले का इतिहास :

9 वीं शताब्दी के प्रारंभ से 13 वीं शताब्दी के मध्य तक मालवा, जिसमें सीहोर जिला भी शामिल है- परमार राजाओं के आधीन रहा। बाद में यह मराठों के अधीन हो गया। मराठा साम्राज्य से सीहोर जिले के अलग हो जाने पर यह मुस्लिम शासकों के आधीन रहा। अंतिम मुस्लिम शासक नवाब हमीदउल्ला खॉं थे, जिनका कार्यकाल जून 1948 को समाप्त हुआ था। इस प्रकार सीहोर चन्द्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, राजभोज, अशोक द ग्रेट, पेशवा चीफ, मराठा, परमार, रानी, कमलावती और भोपाल के नवाब के शासन के अधीन रहा।

सीहोर जिले की स्थापना पूर्व भोपाल राज्य में 1880 में हुई।

अतिथि विद्वान ( राजनीतिशास्त्र विभाग ), शासकीय महाविद्यालय, केसरी-सागर ( मध्यप्रदेश )

प्रारंभ में भोपाल, सीहोर जिले के अन्तर्गत आता था। भोपाल, सीहोर की एक तहसील मात्र था। 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर जिला का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप दो जिले—भोपाल तथा सीहोर का निर्माण हुआ।

#### राष्ट्रीय आन्दोलन में सीहोर की भूमिका :

लगभग 50 सालों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इस आंदोलन में राज्य परिषद, जो कांग्रेस के तिरंगे झण्डे के नीचे काम करती थी, इसके नेता पं. चतुर नारायण मालवीय, खान शाकिर अली खाँ, याह्या अली खाँ, बाबू कांता प्रसाद, पं. रघुनंदन व्यास, श्याम सुंदर सक्सेना तथा श्रीमती रूक्मिणी देवी आदि ने समय-समय पर जन आंदोलन का नेतृत्व किया।

#### 1949 का विलीनीकरण आन्दोलन :

भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला खाँ ने भी भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इंकार कर दिया जिसके कारण इस क्षेत्र की जनता ने उन पर दबाव डाला और दिसम्बर 1948 में जोरदार तरीके से पूरे भोपाल राज्य में विलीनीकरण आन्दोलन शुरू किया। इस आंदोलन में सर्वजी विष्णुदत्त मिश्रा, धनसिंग सूफी, बाबूलाल आर्य, चन्दनमल, बनवर, रामप्रसाद इमलाह, श्रीमती रूक्मिणी देवी व्यास, चन्द्र किशोर व्यास, अमरचन्द्र रोहिला, बिहारीलाल पटेल, नंदलाल आर्य गौरीशंकर समाधिया, उदयसिंह आर्य, पं. रघुनन्दन व्यास और श्रीमती धनेश्वरी देवी चौबे आदि ने भाग लिया और जेल यात्रा की। पहली गिरफ्तारी अप्रैल 1948 में विष्णुदत्त मिश्रा की हुई। विलीनीकरण आंदोलन जन आंदोलन था इसमें सभी वर्गों ने भाग लिया। गौरीशंकर समाधिया ने हिन्दु महासभा की तरफ से इसमें भाग लिया। श्रीमती रूक्मिणी देवी ने 13 जनवरी 1949 को महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व करते हुये पुरानी निजामत का घेराव किया श्रीमती धनेश्वरी देवी ने तिरंगा झण्डा निजामत के ऊपर फहराया तथा व्यास जी ने वहाँ रखे हुए हथियारों पर कब्जा करके ये घोषणा की कि आज से नवाबी राज्य खत्म हो चुका है और भोपाल राज्य भारतीय संघ में विलीन किया जाता है। सरदार पटेल भारत के गृहमंत्री थे उन्होंने अपने विशेष दूत श्री वी. पी. मेनन को भोपाल भेजा और स्थिति का जायजा लिया। श्री मेनन और नवाब के बीच समझौता हुआ, जिसके अनुसार 1 जून, 1949 को नवाबी राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया और भोपाल राज्य भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया तथा देश के साथ ये इलाका भी स्वतंत्र हो गया।

सीहोर विधानसभा क्षेत्र :

राज्य विधानसभा के प्रथम चुनाव 1952 में हुए। उस समय सीहोर जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र थे, जिससे 18 सदस्य चुने जाते थे। बाद में विधानसभा का पुर्नगठन, 1956 के कानून के अंतर्गत किया गया इस एक्ट के द्वारा सीहोर जिले से 6 प्रतिनिधि, 4 विधानसभा क्षेत्रों से चुने गए और सीहोर विधानसभा क्षेत्र को दो सदस्यीय विधानसभा क्षेत्र बनाया गया, जिसमें एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। 1964 में सीहोर जिले की विधानसभा क्षेत्रों का पुर्नगठन किया गया और इसके अन्तर्गत सीहोर जिले को 7 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया इसमें आष्टा विधानसभा को अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रखा। 2

अक्टूबर, 1972 को सीहोर और भोपाल दो जिले बनाए गए तथा सीहोर जिले को 4 विधानसभा क्षेत्रों—सीहोर, आष्टा, इछावर और बुधनी में बांटा गया। सीहोर विधानसभा क्षेत्र से दो सदस्यीय क्षेत्र भी समाप्त कर दिया गया। अब प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। सीहोर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित गाँव आते हैं— बाँसिया, पोटर, गवा, दुरगांव, चांदवड, मानपुरा, छतरपुर, काकूखेड़ी, मगरदा, सातनवाडी, लोधीपुरा, मुंगावली, सीलखेड़ा, बरखेड़ा हसन, सुआखेड़ी, पाडलिया, मंझेडा, सांकला, चरनाल, आछारोही, मरहेटी, पीलूखेड़ी, पड़ियाला, गोपालपुरा, छतरी रसूलपुरा, पीपलखेड़ा, वनखेड़ा, अहमदपुर, देहरी, अजमतनगर, हतियाखेड़ा, हिनोती, खाईखेड़ा सोठी, बर्री, घाटपलासी, पानबिहार, हिगोनी, दोराहा, पास, जमुनिया खुर्द, बरोडीकला, सत्तोरनिया, डोबरा, गुलखेड़ी, कादमपुर, धोबीखेड़ी, कचनारिया, खजूरिया कला, नौनीखेड़ी काजी मुहाली, शेखपुरा, टोला, बिजोरा जमोनिया तालाब, थूनाखुर्द और सीहोर।

#### सामाजिक स्थिति :

किसी भी क्षेत्र की राजनीति वहाँ के सामाजिक स्थिति के अनुरूप होती है। समाज के लोगों के रीति—रिवाज, धार्मिक स्थिति, परिधान, शैक्षणिक स्तर, जैसा होगा वैसी ही उस क्षेत्र की राजनीति होगी। सामाजिक संरचना को समझने के लिए हमें जनसंख्या, धर्म, जाति, भाषा, त्यौहार, रीति—रिवाज, परिधान आदि का अध्ययन करना होगा जो निम्नानुसार है :

**जनसंख्या :** जनसंख्या राजनीति का महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि लोकतंत्र राजनीति में जनता की सर्वसर्वा होती है। सीहोर जिले की जनसंख्या वर्ष 1901 से 2011 तक निम्न तालिका के अनुसार है :

तालिका क्रमांक 1 : सीहोर जिले का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा जनसंख्या का घनत्व

जनसंख्या वर्ष	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	जनसंख्या	जनसंख्या का घनत्व (प्रतिवर्ग कि.मी.)
1901	अप्राप्त	220839	अप्राप्त
1911	अप्राप्त	225865	अप्राप्त
1921	अप्राप्त	243785	अप्राप्त
1931	4015.31	263882	66
1941	4173.02	279646	67
1951	6516.51	285451	44
1961	6579.22	382969	58
1971	6579.22	512764	78
1981	6578.00	657381	100
1991	6578.00	841358	128
2011	6578.00	1078912	164

स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका वर्ष 2010.

तालिका 1 के अनुसार वर्ष 2001 में सीहोर जिले की जनसंख्या 1078912 है तथा जनसंख्या का घनत्व 164 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। सीहोर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र बुधनी, आष्टा, इछावर और सीहोर है। जबकि यहाँ 8 तहसील—सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी, नसरुल्लागंज, रेहटी, श्यामपुर और जावर है। सीहोर तहसील में सन् 2001 में अनुसूचित जाति जनसंख्या 63857 है जो कुल

जनसंख्या का 17.94 प्रतिशत है इसी तरह अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 11161 है, जो कुल जनसंख्याका 3.14 प्रतिशत है। स्त्री पुरुष का अनुपात सन् 2001 के अनुसार 910 है।

#### जाति एवं धर्म :

यहाँ मुख्यतः हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा जैन रहते हैं। हिन्दू में भी ठाकुर, क्षत्रीय, राजपूत, ब्राह्मण, लोधी, चमार, वलई, खाती, काछी, अहीर, कुर्मी तथा मुस्लिम में पठान श्रेय रहत हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गोंड, किरार तथा मीना जनजाति के लोग भी रहते हैं। यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सीहोर नगर के कस्बा मोहल्ले में श्री राम मंदिर एवं प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जो अतिशय क्षेत्र हैं। यहाँ 4 जैन मंदिर हैं, जो अपनी विशिष्टता बनाए हुए हैं। प्राचीन इतिहास की दृष्टि से पेशवा कालीन गणेश मंदिर अपनी विशिष्टता एवं वैभव लिए सीहोर में स्थित है। सीहोर क्षेत्र में मुख्य रूप से हिन्दू और मुस्लिम संप्रदाय अधिक संख्या में रहते हैं वे धार्मिक आधार पर राजनीति को प्रभावित करते हैं।

#### भाषा, साक्षरता एवं संस्कृति :

सीहोर की भी मुख्य भाषा हिन्दी ही है। मालवा में स्थित होने के कारण यहाँ मालवी भी बोली जाती है। इसके अतिरिक्त ऊर्दू, पंजाबी, मराठी, सिन्धी, गुजराती आदि बोलियाँ भी बोली जाती हैं। जिले में 1991 की जनगणना के अनुसार की तुलना में वर्ष 2001 में साक्षरता प्रतिशत में 23.40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्तमान में साक्षरता का प्रतिशत 63.83 प्रतिशत है इस अवधि में महिलाओं की साक्षरता में 25.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई वर्ष 1991 में 57.98 प्रतिशत पुरुष साक्षर थे अब 78.14 प्रतिशत साक्षर है।

यहाँ पर सभी तीज त्यौहार जैसे—दशहरा, दीपावली, होली राखी, ईद, मुहर्रम, बैसाखी, क्रिसमस डे, गुरुनानक जयंती, महावीर जयंती बड़े उत्साह और उल्लास पूर्वक मनाई जाती है। मकर संक्राति, गुडी पड़वा आदि त्यौहारों का भी विशेष महत्व है। यहाँ कई सांस्कृतिक संगठन हैं जो कवि सम्मेलन गायन, वादन तथा विशेष अवसरों पर झांकी इत्यादि का आयोजन करते हैं।

#### आर्थिक स्थिति :

सीहोर विधानसभा क्षेत्र के आर्थिक पहलुओं में कृषि, उद्योग, परिवहन श्रम और रोजगार, राजस्व प्राप्तियाँ तथा योजना प्रावधान का उल्लेखनीय स्थान है। जिनका विवेचन इस प्रकार है :

**कृषि एवं उद्योग :** सीहोर कृषि प्रधान जिला है। गन्ना उत्पादन के मामले में अनेक बार राष्ट्रीय स्तर पर उसने सफलताएँ अर्जित की हैं। कृषि विभाग द्वारा किए गए सघन प्रयासों का असर कृषि पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। बायोगैस संयंत्र, उद्यानिकी विकास और जैविक खती में भी जिले में अच्छी सफलताएँ अर्जित की हैं। सीहोर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है यहाँ कुल स्थापित उद्योग की संख्या 93 है इसमें नियोजित व्यक्ति 230 है तथा नियोजन 117.37 लाख रु. सीहोर जिले में लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योगों की स्थिति ठीक नहीं है। शुरु में इनकी संख्या ज्यादा थी पर वर्तमान में ये घटती ही जा रही है। सीहोर जिले में मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हेतु सहायक उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक संस्थान है। यहाँ वेजीटेविल आईल, रिफाइन्ड आईल, मिल्क प्रासेसिंग, क्राफ्ट पेपर, रेल्वे के लिए सीमेन्ट स्लीपर एवं पशु आहार का उत्पादन होता है।

**परिवहन, श्रम एवं रोजगार :** सीहोर नगर भोपाल इंदौर रेल्वे मार्ग पर स्थित है। सीहोर तहसील में पक्की सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 12.2 कि.मी. तथा लोक निर्माण विभाग के द्वारा 16.78 कि.मी. किया गया, जबकि कच्ची सड़कों का लोक निर्माण विभाग द्वारा 13.50 कि. मी. निर्माण किया गया। सीहोर तहसील में कच्ची और पक्की सड़कों की लम्बाई की तुलना में पक्की सड़कें अधिक है, जो यहाँ की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है तथा ऐसी स्थिति से राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। जिले में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या सन् 2010 के अनुसार 50,613 है। इस प्रकार सीहोर की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने से पता चलता है कि यहाँ की जनता मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। औद्योगिक दृष्टि से भले ही यह पिछड़ा हुआ है परन्तु यहाँ उद्योगों की संभावनाएँ अधिक है सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। सीहोर नगर की परिवहन एवं संचार व्यवस्था भी अच्छी है। जो यहाँ के आर्थिक विकास में सहयोग करती है।

**प्रशासनिक स्थिति :** प्रशासनिक दृष्टि से सीहोर जिला आठ तहसीलों सीहोर, इछावर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, रेहटी, श्यामपुर और जावर के जरिये प्रशासित है। जावर जिले की नई तहसील है। इसके गठन की घोषणा 12 जून, 2008 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। जिले में पाँच विकासखण्ड हैं जो सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी एवं नसरुल्लागंज है। सीहोर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है बुधनी विधानसभा (विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 156), आष्टा विधानसभा (विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 157), इछावर विधानसभा (विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 158), तथा सीहोर विधानसभा क्षेत्र जिसका विधानसभा क्रमांक 159 है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है। सीहोर जिले में 2 नगर पालिक सीहोर और आष्टा है। यहाँ 7 नगर पंचायत इच्छावर, जावर, शाहगंज कोठरी, नसरुल्लागंज, बुधनी, रेंहटी हैं। यहाँ पाँच जनपद पंचायत सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी, नसरुल्लागंज है। कुल ग्रामों की संख्या 1072 है आबाद ग्राम 1019 है। ग्राम पंचायत की संख्या 497 हैं। 16 राजस्व निरीक्षक मण्डल तथा 199 पटवारी हल्के हैं। विद्युतीकृत ग्राम की संख्या 1016 है, जबकि पेयजल सुविधा युक्त ग्रामों की संख्या 1019 है। इस प्रकार सीहोर विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

#### संदर्भ :

- (1) गजेटियर ऑफ इंडिया, म.प्र. सीहोर, भोपाल 1989 (शासकीय प्रकाशन)।
- (2) सक्सेना, श्याम सुन्दर : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी—“भोपाल राज्य के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास”।
- (3) समाधिया, गौरीशंकर : पंडित रघुनन्दन व्यास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी पर आधारित।
- (4) मध्यप्रदेश के संदर्भ में 2010.
- (5) सीहोर विधानसभा पुस्तिका 2010.
- (6) मॉरिस जॉन्स पॉलियामेन्ट इन इंडिया लंदन 1957, पृष्ठ 2.
- (7) जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2010, पृष्ठ 14.
- (8) सीहोर जिला एक विकास, जिला जन संपर्क कार्यालय सीहोर म.प्र.।

